पत्रांक–आर0एफ0आई0डी0 / 2018–19 / 1094/1801948 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(सचलदल अनुभाग)
दिनांकः: 20 सितम्बर , 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 / गेड–2(वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

विषय :–आर0एफ0आई0डी0 व्यवस्था दिनांक–01.11.2018 से प्रभावी किये जाने के संबंध में।

महोदय ,

प्रान्त में प्रवेश / निर्गमन करने वाले वाणिज्यिक वाहनों के अनुश्रवण हेतु प्रदेश में RFID व्यवस्था दिनांक–01.11.2018 से प्रभावी किया जाना है। इस संबंध में दिनांक– 01.11.2018 से प्रान्त में प्रवेश / निर्गमन करने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों पर RFID टैग अन्तः स्थापित किया जाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में प्रदेश के 41 चिन्हित प्रवेश / निर्गमन स्थलों पर स्थापित RFID रीडरों के आसपास वाणिज्यिक वाहनों हेतु RFID टैग वितरित करने एवं अन्तः स्थापित करने की व्यवस्था की गयी है ।

2. उक्त के कम में आवश्यक है कि प्रत्येक जोनल कार्यालय में RFID TAG प्राप्त करने / अन्तः स्थापित कराने तथा इस संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना की जाये तथा हेल्प डेस्क की ड्यूटी पर कार्यरत अधिकारी को नाम / दूरभाष सहित ड्यूटी चार्ट मुख्यालय सचलदल अनुभाग को भेजा जाए।

3. RFID व्यवस्था के संबंध में समस्त स्टेक होल्डर्स को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर शिविरों एवं वैठक / गोष्ठी के आयोजन दिनांक–30.09.2018 से निरन्तर आर0एफ0आई0डी0व्यवस्था सुव्यवस्थित होने तक करायी जाए। । इस संबंध में आयोजित किए जाने वाले शिविरों एवं बैठकों की तिथि नियत करते हुए कार्यक्रम की कार्ययोजना तैयार कर प्रत्येक दशा में दिनांक–25.09.2018 तक मुख्यालय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

K 20/9

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।